

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ़

अनवान


अजमल खां बनाम बल्लू खां आदि

प्रकरण संख्या :- 93 / 2023

GCMS संख्या :- 2023/214

प्रकरण- अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम

देश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
07.11.2023	<p>आज यह पत्रावली वादी के वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता श्री श्रवण बिश्नोई के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजि. ए.डी. के तलब किया जावे। पत्रावली आयंदा दिनांक 19.12.2023 को पेश हो।</p>	
21.11.23	<p>वादी की ओर से वकील वादी द्वारा ग्राफ्ट प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा ग्राफ्ट प्रस्तुत कर निकैदन किया गया कि वादी इस प्रकरण में अपने कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है बल्कि नोट प्रैस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज करवाये जाने के अफेस प्रदान करें। वादी का ग्राफ्ट स्वीकार किया जाकर वादी का यह वादपत्र नोट प्रैस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तयारी तकमील दौकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखापा जाकर लुले न्यायालय में बुनाप गया।</p>	<p>Not Present. S. K. 21.11.2023</p>


(श्री श्रवण बिश्नोई)
R.A.S.